न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 74 / 2016 जिला दौसा

1. रामजी लाल पुत्र हरसहाय
2. लल्लु पुत्र हरसहाय
   समस्त जाति माली, निवासीगण – ग्रम भाण्डारेज, तहसील दौसा जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र हट्या
2. श्रीनारायण पुत्र हरसहाय
   समस्त जाति माली, निवासीगण– ग्रम भाण्डारेज, तहसील दौसा जिला दौसा ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार दौसा, तहसील व जिला दौसा ।
4. उप पंजीयक दौसा, तहसील व जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दौसा दिनांक 9.9.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरिश कुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अशोक कुमार बटवाल

निर्णय

दिनांक– 14.11.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 9.9.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम भाण्डारेज, तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 2044, 2046, 2047, 2234, 2236, 2237, 2242, 2244, 2245, 2321, 2324 कुल किता 11 कुल रकबा 4.10 हैक्टेयर हरसहाय पुत्र रामसहाय की खातेदारी में दर्ज थी । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने उक्त भूमि को खसरा परिशोधन पत्र (विभाजन से संबंधित) में दिनांक 20.8.1981 को अपीलान्ट के पिता हरसहाय के स्थान पर रेस्पोंडेन्ट रघूनाथ पुत्र हट्या की खातेदारी में दर्ज करदी गई । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के उक्त खसरा परिशोधन पत्र दिनांक 20.8.1981 के खिलाफ अपीलान्ट रामजी लाल द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.9.2015 द्वारा पक्षकारान के मध्य पूर्व से ही सक्षम न्यायालय में उनके हक हकूक तय करवाने हेतु वाद विचाराधीन होने से अपील में कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है, जिसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं दोनों अदालतों के निर्णय दिनांक 9.9.15 एवं 20.8.81 अपास्त कर हाल रिकार्ड को पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम भाण्डारेज , तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 443 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा,625 रकबा 7 बीघा,652 रकबा

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 35 बीघा 4 बिस्वा एवं साबिक खसरा नम्बर 442 गैर मुमकीन चाह रकबा 4 बिस्वा के खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के पिता हरसहाय थे तथा विवादित भूमि पर काबिज काश्त रहे हैं । गत खसरा नम्बर 443 के हाल खसरा नम्बर 2228 लगायत 2230, 2232 लगायत 2248, गत खसरा नम्बर 625 के हाल खसरा नम्बर 2044, 2046 लगायत 2049 , गत खसरा नमबर 652 के हाल खसरा नम्बर 2320 लगायत 2324 एवं गत खसरा नम्बर 442 के हाल खसरा नम्बर 2231 भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये । भू प्रबन्ध विभाग का कार्यक्षेत्र केवल चाही व बारानी भूमि में होने वाले परिवर्तन को कायम कर लगान कायम करना था । भू प्रबन्ध विभाग को यह अधिकार नहीं था कि बिना कोई रहन , बय या हस्तान्तरण विलेख के उक्त भूमि को अन्य किसी दीगर व्यक्ति की खातेदारी में अंकित कर दें , लेकिन भू प्रबन्ध विभाग ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हरसहाय पुत्र रामसहाय की खातेदारी भूमि को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रघुनाथ पुत्र हट्या के नाम हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया एवं पर्चा खतौती व परिशोधन परिपत्र में अवैध रूप से गलत तरीके से खसरा नम्बर 2044, 2046, 2047, 2234, 2236, 2237, 2242, 2244, 2245, 2321, 2324 कुल किता 11 कुल रकबा 4.10 हैक्टेयर हरसहाय के स्थान पर रेस्पोंडेन्ट रघुनाथ पुत्र हट्या की खातेदारी में अंकित करदी एवं खसरा परिशोधन पत्र में इन्द्राज कायम कर दिया कि खातेदार की सहमति से भूमि का आधा हिस्सा रघुनाथ पुत्र हट्या के नाम विभाजन कर दिया । खसरा परिशोधन पत्र में कोई सहमति के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी किसी भी पक्षकार की नहीं है न ही ऐसी कोई सहमति का इन्द्राज है । भू प्रबन्ध विभाग को न तो खातेदारी बदलने का अधिकार था और न ही विभाजन करने का क्षेत्राधिकार था । खसरा परिशोजन में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा किया गया इन्द्राज एब–इनिशियोवॉयड एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों पर विश्लेषण किये बिना ही सरसरी तौर पर यह कहते हुये अपील खारिज करदी कि वादग्रस्त भूमि के बाबत दावा चल रहा है जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नहीं है तथा निर्णय की तारीफ में नहीं आता है । उनका कहना था कि हरसहाय अनपढ गरीब काश्तकार था एवं उसके उत्तराधिकारी भी गरीब अनपढ काश्तकार है । भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही का अपीलान्ट को हाल ही में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि दीगर व्यक्ति को रहन बय व हस्तान्तरण करने व मौके पर निर्माण करने पर लगा और परिशोधन पत्र की नकलें प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय में अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की थी । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश अवैध व क्षेत्राधिकार से बाहर था जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा जीवित रखने में अहम कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों आदेश निरस्त कर हाल रिकार्ड को पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रघुनाथ का उसके पिता के जीवनकाल से हर सहाय के पिता राम सहाय के साथ बहिस्सा बराबर की खातेदारी थी जिसको स्वीकार करते हुये भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी अंकित की है । अपीलान्ट को विवादित भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी बाबत अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है न ही वह एग्रीव्ड परसन है । उनका कहना था कि हरसहाय द्वारा बयान कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रघुनाथ के नाम खातेदारी का अंकन कराया था जिससे अपीलान्ट किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुये हैं । उनका यह भी कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा परिशोधन पत्र दिनांक

20.8.81 के खिलाफ 30 वर्ष पश्चात् दिनांक 7.12.2012 को अपील प्रस्तुत की थी जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट् संख्या 1 रघुनाथ का पिता हट्या अपीलान्ट रामजी लाल के पिता हरसहाय के पिता रामसहाय से छाटा था तथा रामसहाय बडा भाई होने के कारण भूमि रामसहाय के नाम लग गई थी ओर हट्या को रामसहाय ने ही पाला –पोसा, शादी– विवाह किया था । उनका कहना था कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि में अधिकारों की घोषणा के वाद न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें उनके अधिकारों का निर्धारण होना है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा इसी आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने विवादित भूमि को खसरा परिशोधन पत्र दिनांक 20.8.1981 द्वारा यह अंकित करते हुये कि "खातेदार हरसहाय ने उपस्थित होकर बताया कि यह आराजी हमारी पुस्तैनी है और इसमें मेरे काका के लडके रघुनाथ पुत्र हट्या का भी आधा हिस्सा इस जमीन में है । अतः हस्ब रजामंदी मुताबिक मौका कब्जा इन्द्राज दुरूस्ती व खाता विभाजन हेतु प्रस्तुत है ।" अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के पिता हरसहाय के स्थान पर रेस्पोंडेन्ट रघुनाथ पुत्र हट्या के नाम दर्ज की है । पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के संबंध में वाद अधिघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के हक हकूकों का निर्धारण होना है । उक्त वाद के विचाराधीन रहते अपीलान्ट द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के खसरा परिशोधन पत्र दिनांक 20.8.81 के खिलाफ जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 7.12.2012 को करीबन 30 साल के विलम्ब से अपील पेश की थी जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.9.2015 द्वारा इस आधार पर खारिज की है कि "पक्षकारान के मध्य पूर्व से ही सक्षम न्यायालय में अपने हक हकूक तय करवाने हेतु वाद विचाराधीन होने से इस अपील में कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है ।"

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पक्षकारान के सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसमें उनके हक हकूकों का निर्धारण होना है एवं इसी के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है एवं अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर